न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

पीठासीन अधिकारीः– गोपाल परिहार RAS

राजस्व अपील संख्या : 6/2018

अपीलार्थी :

1. दिलीप पुत्र भीड़मल
2. हितेन्द्र पुत्र भीड़मल
3. विजय पुत्र भीड़मल

जाति विश्नोई, निवासीगण 9 पोस्ट ऑफिस चरमाधीया क्वार्टस गांधी आश्रम, अहमदाबाद।

बनाम

रेस्पोडेन्टस :

1. बरजूदेवी पत्नी भीड़मल जाति विश्नोई
2. बलवन्ताराम पुत्र भीड़मल विश्नोई

   निवासीगण गुड़ा विश्नोईयान्, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।

3. ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान्, जरिए सरपंच, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।

   अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण सख्या 2318 जो ग्राम पचायत गुडा विश्नोइयान द्वारा दिनाक 24.04.216 को स्वीकार किया गया।

उपस्थित :

01.श्री प्रेम प्रकाश देवड़ा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।

02.श्री देवी सिंह भाटी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 4/5/2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि, अपीलांट की ओर से उक्त अनवान की अपील पेश कर, जाहिर किया कि, गाँव राजस्व ग्राम गुडा विश्नोईयान्, तहसील लुणी, जिला जोधपुर में कृषि भूमि खसरा संख्या 11/2, 12, 17/1 स्थित है, जिसके खातेदार भीड़मल पुत्र जगाराम विश्नोई थे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

भीड़मल का स्वर्गवास दिनांक 11.10.2012 को हो गया, उस समय उनके वारिसों में उनके चार पुत्र, दो पत्नियाँ जीवित थी, जिन्हें उत्तराधिकार में उक्त भूमि में अधिकार उत्पन्न हुए, परंतु विरासत का नामान्तरण केवल रेस्पोडेन्ट्स के नाम स्वीकार किया गया। वर्तमान अपीलार्थी स्वर्गीय भीड़मल के प्रथम श्रेणी के वारिसान् है, परंतु विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2318 ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान् द्वारा दिनांक 24.06.2016 को स्वीकार किया गया। इस नामान्तरण के विरूद्ध मौजूदा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स पेश की गई, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट्स को जरिए नोटिस तलब किये जाने पर उपस्थित हुए।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान् की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराते हुए, कहा कि, अपीलाधीन खेत खसरा संख्या 11/2, 12, 17/1 गाँव गुड़ा विश्नोईयान् के खातेदार भीड़मल, जगाराम थे। जगाराम की पहली पत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बरजू देवी व पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र बलवन्त राम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 है तथा भीड़मल गाँव अहमदाबाद में रहने लग गये थे, जहाँ उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था। दूसरे विवाह से उनके तीन पुत्र अपीलार्थीगण हुए। अपीलांट के पिता भीड़मल का देहान्त दिनांक 11.10.2012 को हो गया था। भीड़मल के देहान्त के पश्चात् उनके वारिसानों में चारं पुत्र, दो पत्नियाँ जीवित थी, जिन्हें मृतक भीड़मल की जायदाद में अधिकार अर्जित हुए। भीड़मल की दूसरी पत्नी का भी देहान्त हो चुका है। मृतक भीड़मल के देहान्त के पश्चात् उनका विरासतन् नामान्तरकरण केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान् द्वारा पारित किया गया। उक्त विरासतन नामान्तरकरण संख्या 2318 पारित करते समय स्वर्गीय भीड़मल के वारिसानों की जाँच नहीं की और केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम भीड़मल का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। जबकि अपीलार्थी भी स्व. भीड़मल के प्रथम श्रेणी के वारिसान–उत्तराधिकारी है तथा अधिवक्ता

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अपीलार्थीगण का यह भी तर्क है कि, अपीलार्थीगण को भीड़मल के फौतेदगी म्युटेशन के बाबत् जब अपीलार्थी अहमदाबाद से आये तथा पटवारी से उक्त जमीनों सम्बन्धी राजस्व–रेकर्ड की नकलें माँगी तो हल्का पटवारी ने अभिलेख देखते हुए बताया कि, अपीलार्थीगण का राजस्व–अभिलेख में नाम नहीं है तब सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा हल्का पटवारी ने अपनी मनमर्जी से नामान्तरण भरकर ग्राम पंचायत में उसी रूप में पेश किया, जो ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया। अधिवक्ता अपीलांर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण के गुजराती भाषा में लिखित आधार कार्ड बतौर साक्ष्य सबूत पेश किये तथा खसरा संख्या 11/2, 12, 17/1 की जमाबंदी–गिरदावरी, भीड़मल का मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 11.10.2012 व नामान्तरकरण संख्या 2318 दिनांक 24.04.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की तथा निवेदन किया कि, अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2318 दिनांक 24.04.2016 गलत रूप से भरकर पारित किया गया, जिसे निरस्त किया जाकर, प्रकरण तहसीलदार, लुणी को रिमान्ड किया जाकर, निर्देश दिया जावे कि, वह भीड़मल के सभी वारिसों की जाँच कर, पुनः फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपील का विरोध करते हुए अपनी बहस में तर्क़ सहित कथन किये कि, यह निर्विवाद रूप से साबित है कि, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 स्व. भीड़मल की पत्नी व पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती बरजू देवी मृतक भीड़मल की एकमात्र पत्नी है, जो आज दिन जीवित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की जानकारी में स्व. भीड़मल के तथाकथित दूसरा विवाह व उससे उत्पन्न अपीलार्थी संख्या 1 से 3 स्व. भीड़मल के पुत्र होने की कोई जानकारी नहीं है और वैसे भी हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार पहली पत्नी के जीवित होते हुए, कोई भी हिन्दू दूसरा विवाह प्रथम विवाह को विघटन किये बिना नहीं कर सकता है। यदि कोई करता है तो वह अवैधं एवं विधि–विरूद्ध है। प्रथमतः अपीलार्थीगण भीड़मल के पुत्र है ही नहीं, क्योंकि मौजूदा अपील में ऐसा कोई भीड़मल के दूसरे विवाह का वैध दस्तावेज विवाह प्रमाण–पत्र इत्यादि अभिलेख पर नहीं है और न ही अपीलांर्थीगण का ऐसा कोई

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

तत्कालीन दस्तावेज जन्म प्रमाण–पत्र अथवा विद्यालय का प्रथम प्रवेश–पत्र, जिसमें अपीलार्थीगण व मृतक भीड़मल की स्वीकारोक्ति सहित सम्बन्ध प्रकट होता हो। केवल गुजराती भाषा में आधार कार्ड प्रस्तुत कर दिये जाने से अपीलार्थीगण मृतक भीड़मल के उत्तराधिकारी–वारिसान् नहीं कहे जा सकते है। वैसे भी नाम व उपनाम एक समान हो सकते है तथा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये समस्त आधार कार्ड में निवास स्थान अहमदाबाद दर्ज है, इससे भी स्वीकृत है कि, अपीलार्थीगण का गाँव गुड़ा विश्नोईयान्, तहसील लूणी, जिला जोधपुर से कोई दस्तावेजी सम्बन्ध नहीं है। जहाँ तक हल्का पटवारी गुड़ा विश्नोईयान् द्वारा नामान्तरण संख्या 2318 भरकर ग्राम पंचायत गुड़ा विश्नोईयान् में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में भरकर मजमे आम में भरा गया, जिसमें ग्राम पंचायत की मीटिंग में स्व. भीड़मल के वारिसानों व मौके पर कब्जें की काबिज होने की जाँच किये जाने की उपरांत ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में पारित किया गया है। स्व. भीड़मल के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ही प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी–वारिसान् है। इसके अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी–वारिसान् नहीं है। नामान्तरण कार्यवाही एक फिशिकल कार्यवाही है, नामान्तरण से कोई दस्तावेज सृजित नहीं होते है, यदि अपीलार्थीगण अपने आप को तथाकथित रूप से स्व. भीड़मल के उत्तराधिकारी–वारिसान् के आधार पर उसकी जायदाद में हिस्सा होना जाहिर करते है तो विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि, हिस्सा या हक़ का निर्धारण सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है और खातेदारी अधिकारों की घोषणा भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किया जाने का भी प्रावधान है। वर्तमान प्रकरण से यह जाहिर है कि, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का स्वर्गीय भीड़मल की जायदाद में हक के निर्धारण करने के बाबत् उल्लेखित तथ्य साक्ष्य का विषय है। मौजूदा अपील के जरिए अपीलार्थीगण अपना हक़ निर्धारण नहीं करवा सकते है। इसके अलावा किसी भी हिन्दू व्यक्ति के द्वारा प्रथम पत्नी के जीवित होते हुए, दूसरा विवाह किया जाता है तो वह विधि की दृष्टि में अवैध है तथा पहली पत्नी के जीवित होते हुए और पहली पत्नी से उत्पन्न संतान के होते हुए, यदि दूसरे विवाह से उत्पन्न संतान अधर्मज़ की श्रेणी में आते है। अधर्मज़ संतान को उसके

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पिता की स्वार्जित जायदाद में ही हक–हिस्सा प्राप्त कर सकते है। अधर्मज पुत्र या पुत्रियाँ अपने पिता की पुश्तैनी सम्पत्ति में किसी भी प्रकार से हक–हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसा ही सिद्धान्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त भारतमठ बनाम आर,विजया रंगनाथन वगैरा में प्रतिपादित किया है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अन्य न्यायिक दृष्टांत श्रीमती पी,इ,के कल्याणी अम्मा में यह मत प्रतिपादित किया है कि, हक का निर्धारण सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा ही तय किया जा सकता है।

रिबटल में अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने तथ्यों को दोहराते हुए, कथन किया है कि, अपीलार्थीगण मृतक भीड़मल के द्वितीय विवाह से उत्पन्न पुत्र है, जो भी भीड़मल की सम्पत्ति में अपना हक–हिस्सा जन्म से ही प्राप्त किये हुए है। हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत द्वारा स्व. भीड़मल के सभी वारिसानों का नामान्तरण स्वीकृत नहीं कर, केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में ही पारित किया है, जो विधि–विरूद्ध है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत पेश किये, जिनको आदर सहित अवलोकन कर, मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील के साथ केवल दस्तावेजी साक्ष्यों में जमाबंदी, खसरा गिरदावरी व नामान्तरण संख्या 2318 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की, जिनमें भीड़मल पुत्र जगाराम व उनके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का नाम इन्द्राज है तथा अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपीलार्थीगण के गुजराती भाषा में लिखित आधार कार्ड प्रस्तुत किये है। अपीलार्थीगण के पिता भीड़मल के द्वारा दूसरे विवाह करने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विवाह प्रमाण–पत्र भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बरजू देवी स्व. भीड़मल की पत्नी होना दोनों ही पक्षों द्वारा स्वीकृत है, परंतु मृतक भीड़मल के दूसरे विवाह व उससे उत्पन्न संतान अपीलार्थीगण के बारे में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का खण्डन करते

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लणी

हुए, अस्वीकार किया गया है, इसलिए मृतक भीड़मल के द्वारा दूसरा विवाह किया जाना और उससे उत्पन्न संतानों के बारे में विधिक राय सक्षम साक्ष्य सबूत से ही तय की जा सकती है, अपीलार्थीगण की ओर से केवल आधार कार्ड के अलावा अन्य कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल आधार कार्ड के आधार पर उत्तराधिकार–वारिसान् का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का यह तर्क कि, अपीलाधीन प्रकरण साक्ष्य का विषय है, जो सक्षम सिविल न्यायालय में वाद के जरिए ही तय किया जा सकता है, यह तथ्य अपील में तय नहीं किया जा सकता और हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण मृतक भीड़मल के वारिसान् होने बाबत् भी पक्षकारों के मध्य विवाद है, जो विवाद सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद के जरिए ही निस्तारित किया जा सकता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है, उसमें भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि, अधर्मज़ संतानों को अपने पिता की केवल स्वार्जित जायदाद में ही हक–हिस्सा प्राप्त होता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायिक दृष्टांत में भी जायदाद में हक का निर्धारण सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है। इन दोनों ही न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 2318 पारित करने में कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ। अपीलार्थीगण अपना हक या खातेदारी अधिकार निर्धारण करने के लिए सक्षम न्यायालय से जरिए दावा तय करवाने हेतु स्वतंत्र है। मौजूदा अपील में कोई बल नहीं होने से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी